

26.7.20

उभय पक्ष नृणस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 26.7.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-8-20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
25.8.20

25.8.20

उभय पक्ष नृणस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 25.8.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15.9.20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मम बाद शांति होकर प्राप्त हुए जिले शा.पठ किये गये। तत्संबंधित माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.पठ की गई अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरोक्त भी उपस्थित भई, इनके बिकर एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई, वकील प्रार्थीगण का प्रा.पठ स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपुत्र से लिखा जाकर शांति पत्रावली किया गया। पत्रावली फेसल शुगर की जाकर नम्बर से हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गसीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 12/20 प्रा.पत्र

श्री लाडुभाय जी केसुभाय जीगी निवासी - दाता कला तहसील - माण्डल [कोटा]

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती गण कंवर वी. अंबर सिंह जगद्वान निवासी - जंभीरपुरा तहसील माण्डल [कोटा]
(पृष्ठकृत प्रा. पत्र संख्या 11)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....जंभीरपुरा.....पटवार हल्का.....दाता कला.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 85, 151/85.....कुल कित्ता.....02.....रकबा.....01 बीघा.....14.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-02-20.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....जंभीरपुरा.....पटवार हल्का.....दाता कला.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 85, 151/85.....कुल कित्ता.....02.....रकबा.....01 बीघा.....14.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....मुस्त.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा